प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / आर.आई. / जिंक एवं ओ.आर.एस / 2013–14 / 27 / 63875 दिनांक: 15/5/14

विषय – 'बाल्यावस्था दस्त प्रबन्धन' में ओ0आर0एस0 एवं जिंक के क्रय हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज एस्टीमेट्स' 2004 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 17 प्रतिशत मृत्यु दस्त से होती है तथा दस्त बाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में से दूसरे स्थान पर है। दस्त विकासशील देशों में अधिक ब्यापक रुप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण असुरक्षित पेय जल, स्वच्छता का अभाव तथा समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर होना है। संशोधित दस्त प्रबन्धन नीति के दिशा–निर्देश के अन्तर्गत दस्त के दौरान जिंक उपचार देना "National Policy for treatment of diarrhea in children" March 2007 में घोषित किया गया।

ओ0आर0एस0 एवं ज़िक के कय हेतु धनराशि मिशन फ्लैक्सीपूल के FMR कोड B.16.2.2.1 के अर्न्तगत डायरिया मैनेजमेन्ट मद में ओ0आर0एस0 एवं जिंक टैबलेट खरीद हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जिसका जनपदवार फांट संलग्न है। जिंक एवं ओ0आर0एस0 के क्रय सम्बन्धी आदेश विस्तृत दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित फर्म को दिये जायें। जिंक एवं ओ0आर0एस0 के क्रय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र ही जनपदों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

जिन जनपदों में माइक्रोन्यूट्रिएण्ट इनीशिएटिव एवं क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनीशिएटिव (CHAI) के प्रतिनिधि कार्यरत् है वहाँ इस प्रकिया तथा वितरण योजना तैयार करने में माइक्रोन्यूट्रिएण्ट इनीशिएटिव एवं क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनीशिएटिव (CHAI) के प्रतिनिधि को शामिल किया जाये।

संलग्नक–औषधि दर अनुबंध की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित

भवदीय,

09/5/14
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक :–एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / आर.आई. / जिंक एवं ओ.आर.एस / 2013–14 / 27 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, यू0आई0पी0 परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट इनीशिएटिव, लखनऊ।
9. कार्यक्रम प्रबन्धक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनीशिएटिव (CHAI), लखनऊ।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / आर.आई. / जिंक एवं ओ.आर.एस / 2013–14 / 27 दिनांकः 15/5/14

विषय – 'बाल्यावस्था दस्त प्रबन्धन' में ओ0आर0एस0 एवं जिंक के क्रय हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज एस्टीमेट्स' 2004 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 17 प्रतिशत मृत्यु दस्त से होती है तथा दस्त बाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में से दूसरे स्थान पर है। दस्त विकासशील देशों में अधिक ब्यापक रुप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण असुरक्षित पेय जल, स्वच्छता का अभाव तथा समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर होना है। संशोधित दस्त प्रबन्धन नीति के दिशा–निर्देश के अन्तर्गत दस्त के दौरान जिंक उपचार देना "National Policy for treatment of diarrhea in children" March 2007 में घोषित किया गया।

ओ0आर0एस0 एवं ज़िक के क्रय हेतु धनराशि मिशन फ्लैक्सीपूल के FMR कोड B.16.2.2.1 के अर्न्तगत डायरिया मैनेजमेन्ट मद में ओ0आर0एस0 एवं जिंक टैबलेट खरीद हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जिसका जनपदवार फांट संलग्न है। जिंक एवं ओ0आर0एस0 के क्रय सम्बन्धी आदेश विस्तृत दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित फर्म को दिये जायें। जिंक एवं ओ0आर0एस0 के क्रय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र ही जनपदों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

जिन जनपदों में माइक्रोन्यूट्रिएण्ट इनीशिएटिव एवं क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनीशिएटिव (CHAI) के प्रतिनिधि कार्यरत् है वहाँ इस प्रकिया तथा वितरण योजना तैयार करने में माइक्रोन्यूट्रिएण्ट इनीशिएटिव एवं क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनीशिएटिव (CHAI) के प्रतिनिधि को शामिल किया जाये।

<u>संलग्नक–औषधि दर अनुबंध की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित</u>

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक :–एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / आर.आई. / जिंक एवं ओ.आर.एस / 2013–14 / 27 / 638-75-9 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, यू0आई0पी0 परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट इनीशिएटिव, लखनऊ।
9. कार्यक्रम प्रबन्धक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनीशिएटिव (CHAI), लखनऊ।

09/5/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक